

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(11)नियम/डीएलबी/17/4415

अधिसूचना

जयपुर दिनांक 20/2/17

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)/नियम/डीएलबी/ 10/9356 दिनांक 24.08.2016 की निरन्तरता में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"पुराने सिनेमा घर सिगल स्कॉन (मल्टीपलेक्स को छोड़कर) में निर्मित क्षेत्रफल पर व्यावसायिक दर से नगरीय विकास कर देय होगा तथा शेष खाली भूमि पर व्यावसायिक दर का 25 प्रतिशत नगरीय विकास कर देय होगा।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर दिनांक 20/2/17

प.8(ग)(11)नियम/डीएलबी/17/4416-4877
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय नगरी महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. स्थायी आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
05. आयुक्त/अधिसूचना अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
06. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
07. निदेशक, स्थानीय निधि अकंक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
08. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
09. सीएमएआर निदेशालय को नोट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के पचार हेतु।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नोट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित कराने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

दरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी